संख्या-150/2020/2469/22-2-2019-17(1139)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2020***

विषय:- जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजीव उर्फ संजू यादव पुत्र श्री राम गोपाल, निवासी-जिला-अयोध्या की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका(बैठक-06.08.2019)दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजीव उर्फ संजू यादव पुत्र श्री राम गोपाल, जो-दत्ता का पुरवा, थाना-को0नगर, जिला-अयोध्या का रहने वाला है। बंदी द्वारा प्रेम पत्र के कारण हुए विवाद को लेकर दिनांक 24.07.2004 को धारदार हथियार से गलाकाट कर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-73/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302, के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-03, फैजाबाद के आदेश दिनांक 08.06.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के आधार पर समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी संजीव उर्फ संजू यादव (बंदी संख्या-362/2008) पुत्र श्री राम गोपाल, निवासी-जिला-अयोध्या की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-150/2020/2469(1)/22-2-2019 तद्दिनांक--

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in